10

रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एण्ड चिट्स, उत्तर प्रदेश

कार्यालय : मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय

पत्रांक : 828 / 131487,

दिनांक 25/5/ 2005

श्री/श्रीमती .... सेक्रेटरी
संस्कार फाउंडेशन,
4/... मित्र, विपुल खण्ड, गोमतीनगर — लखनऊ।

संस्था के पंजीकरण के नवीकरण से सम्बन्धित आपके पत्रांक .... के सन्दर्भ में सूचित करना है कि :–

(1) संस्था की निबन्धन संख्या/तिथि तथा पत्रावली संख्या अंकित नहीं की गई है जिसके कारण प्रस्तुत प्रपत्रों पर कार्यवाही सम्भव नहीं है। कृपया उक्त सन्दर्भों सहित ही प्रपत्र प्रस्तुत करें और इस कार्यालय से प्रत्येक पत्र व्यवहार में उक्त सन्दर्भ देने का ध्यान भविष्य में अवश्य रखें।

(2) सन्दर्भित नवीकरण किया जा चुका है एवं तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करें तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860, उ० प्र० सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1976 और अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही संस्था का संचालन करें।

(3) नवीकरण हेतु एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से आवेदन करने के फलस्वरूप संस्था अपंजीकृत हो चुकी है। अतः बिना पर्याप्त कारणों के संस्था का नवीकरण करना सम्भव नहीं है। संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर उसके पुनः पंजीकरण पर विचार किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में आपके मार्ग-दर्शन हेतु "निर्देश-पत्र" की प्रति संलग्न है [धारा 3ए (5)]।

(4) कृपया दिनांक .... से .... तक के नवीकरण हेतु रु० .... नवीकरण शुल्क तथा रु० .... विलम्ब शुल्क का बैंक ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एण्ड चिट्स, उ०प्र०, लखनऊ अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय सहायक निबन्धक के पदनाम से प्रस्तुत करें। कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करने की स्थिति में उक्त शुल्क नकद भी जमा किया जा सकता है (धारा 3ए तथा नियम 9)।

(5) कृपया पिछला प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करें। मूल प्रमाण-पत्र खो जाने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से न प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में वास्तविक तथ्यों का उल्लेख करते हुए नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस शपथ-पत्र में यह भी लिखा जाना चाहिये कि संस्था में कोई प्रबन्धकीय विवाद नहीं है [(धारा 3ए (4)]।

(6) कृपया जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस तथ्य का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि संस्था में कोई प्रबन्धकीय विवाद नहीं है और संस्था के वर्तमान प्रबन्धक अमुक सज्जन हैं।

(7) कृपया .... वर्षों की वर्षवार अलग-अलग प्रबन्ध समिति की सूची, जिसमें सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय तथा पद का उल्लेख हो, प्रस्तुत करें। प्रत्येक वर्ष की सूची अलग-अलग पृष्ठ पर होनी चाहिये चाहे वही सूची अगले वर्ष भी क्यों न लागू हो [धारा 3ए तथा 4(1)]।

(8) यदि प्रबन्ध समिति में परिवर्तन हुआ हो तो उस वर्ष की सूची पर भूतपूर्व पदाधिकारियों व सदस्यों के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिये जो अब इस सूची में नहीं है। कृपया वर्ष .... की सूची पर भूतपूर्व पदाधिकारियों/सदस्यों के भी हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत करें [धारा 3ए तथा 4(1)]।

(9) वर्ष .... से सम्बन्धित प्रबन्ध समिति की सूची संस्था के पंजीकृत नियमावली में अंकित पदों के अनुरूप नहीं है। कृपया इसका कारण स्पष्ट करें तथा पुनरीक्षित सही सूची प्रस्तुत करें।

(10) कृपया सूचित करें कि संस्था के विधान के अनुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव कब होता था और उसे वास्तव में कब कराया गया। प्रबन्ध समिति के प्रत्येक चुनाव की कार्यवाही प्रस्तुत करें। यदि संस्था के विधान में निर्धारित अवधि/तिथि के अनुरूप संस्था के प्रबन्ध समिति का चुनाव नहीं हुआ है तो यह भी स्पष्ट करें कि उक्त चुनाव समय से पूर्व/पश्चात्, कराने के क्या कारण थे और क्यों न उक्त चुनाव को अमान्य कर दिया जाय (धारा-25)।

(11) प्रस्तुत कार्यवाही/चुनाव कार्यवाही में उल्लेख होना चाहिये कि समिति में कुल कितने सदस्य हैं और इसके समक्ष कितने सदस्य बैठक में उपस्थित थे और क्या नियमानुकूल कोरम पूरा था। कृपया तदनुसार स्थिति स्पष्ट करें और कार्यवाही प्रस्तुत करें।

[illegible]

(12) कृपया स्पष्ट करें कि कार्यवाही/चुनाव कार्यवाही 14 दिन के अन्दर ही इस कार्यालय को क्यों नहीं प्रस्तुत की गयी [धारा 4 (1)] ।

(13) कृपया .... वर्ष के आय-व्यय लेखे/बैलेंस शीट प्रस्तुत करें और उन्हें समय से प्रस्तुत न किये जाने का कारण भी स्पष्ट करें [धारा 4 (2)] ।

(14) प्रस्तुत आय-व्यय लेखे/बैलेंस शीट वर्ष .... सही नहीं है । उदाहरणार्थ उनमें गत वर्ष के अवशेष अगले वर्ष में सही/अंकित नहीं किये गये हैं, आय-व्यय की मदें अंकित नहीं की गयी हैं । कृपया त्रुटिपूर्ण लेखे प्रस्तुत करने का कारण स्पष्ट करते हुए सही लेखे प्रस्तुत करें ।

(15) कृपया वर्ष .... के आय-व्यय लेखे/बैलेंस शीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें (धारा 23) ।

(16) उद्देश्यों में परिवर्तन हेतु सर्वप्रथम प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन पारित किये जाने चाहिये । इसके 10 दिन बाद साधारण सभा की एक दूसरी विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से उक्त प्रस्ताव पारित किये जाने चाहिये और इस बैठक के एक माह के अन्तराल पर साधारण सभा की एक दूसरी विशेष बैठक 3/5 बहुमत से उक्त प्रस्ताव का पुष्टिकरण किया जाना चाहिये । इस बैठक के एक माह के भीतर ही उक्त सभी बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतियों सहित पुनरीक्षित स्मृति-पत्र जिसमें परिवर्तन उद्देश्यों का समावेश हो तथा मंत्री और प्रबन्ध समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हों, के साथ पुनरीक्षित स्मृति-पत्र के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाना चाहिये । कृपया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कर आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करें । रजिस्ट्रार द्वारा उक्त स्मृति-पत्र के पंजीकरण (फाइल) किये जाने की सूचना जारी हो जाने पर ही संशोधित उद्देश्य मान्य होंगे (धारा 12 तथा नियम 5) ।

(17) संस्था के पते तथा नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही की सूचना नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण (फाइल) करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये । संस्था के नियमों के परिवर्तन की स्थिति में संस्था की संशोधित सम्पूर्ण नियमावली भी उसे पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये । कृपया तदनुसार तत्सम्बन्धी कार्यवाही तथा संशोधित नियमावली प्रस्तुत करें । कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे (धारा 4ए तथा नियम 5) ।

(18) संस्था के नाम परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति आवश्यक है । अनुमति हेतु अनुरोध करने तथा अनुमति प्राप्त होने पर संस्था द्वारा साधारण सभा की विशेष बैठक में 2/3 बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव की संशोधित स्मृति-पत्र/नियमावली के प्रति के साथ रजिस्ट्रार को परिवर्तित नाम का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये । कृपया तदनुसार कार्यवाही करें । रजिस्ट्रार द्वारा परिवर्तित नाम का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर ही परिवर्तित नाम मान्य होगा (धारा 12 तथा नियम 5 व 12) ।

(19) संस्था द्वारा धारा 4 व 4ए के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति की वार्षिक सूची व अद्यावधिक नियमावली की प्रमाणिक प्रतिलिपि नहीं प्रस्तुत की गयी है । कृपया 30 दिनों के अन्दर सूचित करें कि क्यों न संस्था के विरुद्ध अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाय ।

(20) ....

....

(21) ....

....

कृपया उपरोक्त सभी प्रपत्र पृष्ठ के एक ही ओर टंकित कराकर सभी पृष्ठों पर संस्था के सेक्रेटरी तथा प्रबन्धकारिणी समिति के कम से कम तीन सदस्यों के हस्ताक्षर कराकर तथा संस्था की मोहर लगाकर इस पत्र के जारी होने की तिथि के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें (नियम 5) । तीन माह से भी अधिक विलम्ब से उक्त प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उस पर कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकेगी ।

संलग्नक :—(1)

(2)

(3)

रजिस्ट्रार ।

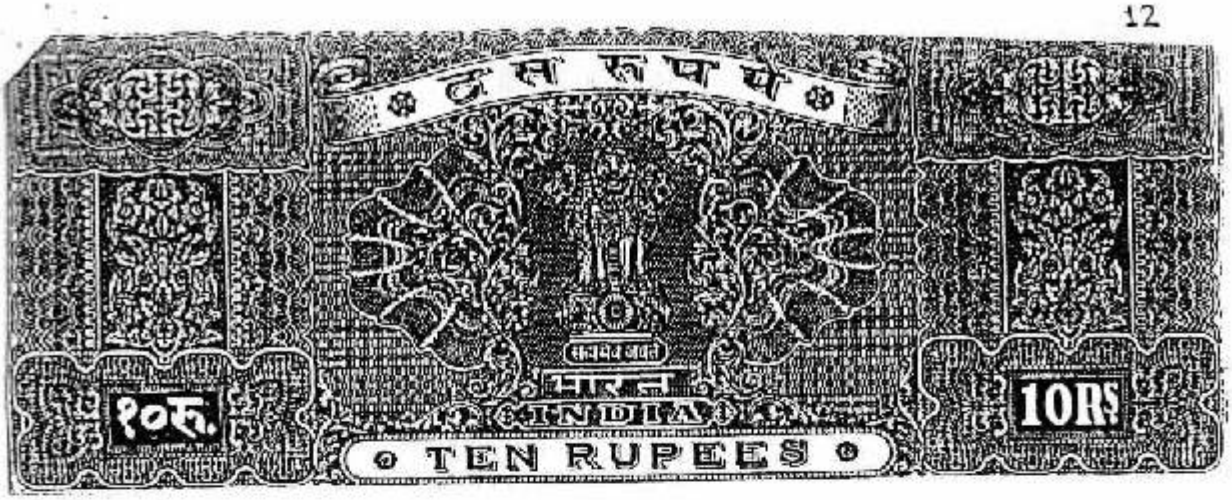

[illegible] स्टाम्प [illegible] संस्कार फाउन्डेशन

131475

जिला लखनऊ

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

डिप्टी रजिस्ट्रार

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,

[illegible]

28